उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-682/2026/आई/1406653/23-1-26-23-1099/70/2026

लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-आई/630886/2026, दिनांक 09.06.2026 द्वारा जनपद वाराणसी/चन्दौली में 01 राज्य मार्ग एवं 05 अन्य जिला मार्गों क्रमशः (1) कछवा कपसेठी बाबतपुर चौबेपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-98), लम्बाई 61.300 कि0मी0 (2) चौबेपुर बलुआ मार्ग (अन्य जिला मार्ग), लम्बाई 7.400 किमी0 (3) पहड़िया बलुआ मार्ग (अन्य जिला मार्ग), लम्बाई 2.85 किमी0 (4) चहनिया से बलुआ मार्ग (अन्य जिला मार्ग), लम्बाई 2.500 किमी0 (5) चहनिया से धानापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग), लम्बाई 16.00 कि0मी0 एवं (6) धानापुर से महुजी मार्ग (अन्य जिला मार्ग), लम्बाई 23.500 कि0मी0 को सम्मिलित कर कछवा कपसेठी बाबतपुर चौबेपुर बलुआ धानापुर जमानिया मार्ग, लम्बाई 113.55 किमी0को राज्य मार्ग श्रेणी में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार जनपद वाराणसी/चन्दौली के निम्नलिखित 06 मार्गों, कुल लम्बाई 113.55 कि0मी0 को उच्चीकृत करते हुए तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार राज्य मार्ग श्रेणी में परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का विवरण, जिसका उच्चीकरण प्रस्तावित है	लम्बाई (कि0मी0	मार्ग की वर्तमान श्रेणी	अनुमोदित मार्ग का नाम	उच्चीकृत/ परिवर्तित मार्ग की श्रेणी/संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	कछवा कपसेठी बातपुर चौबेपुर मार्ग।	61.30	SH	कछवा कपसेठी बाबतपुर चौबेपुर बलुआ धानापुर जमानियां मार्ग।	राज्य मार्ग/ एस0एच0-98
2		चौबेपुर बलुआ मार्ग।	7.40	ODR		
3		पहड़िया बलुआ मार्ग।	2.85	ODR		
4	चन्दौली	चहनिया से बलुआ मार्ग।	2.50	ODR		
5		चहनिया से धानापुर मार्ग।	16.00	ODR		
6		धानापुर से महुजी मार्ग।	23.50	ODR		
		योग-	**113.55**			

2- उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

डा0 लोकेश एम0

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-682**/2026/आई/1406653(1)/23-1-26-23-1099/70/2026, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
7- निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0शासन।
8- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
12- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
15- गार्ड फाइल

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।